न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 15/2016/अपील

रूकमणी देवी पत्नी डूंगरमल, जाति जाट, निवासीनी, ग्राम चाचीवाद बड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर। अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार फतेहपुर, जिला –सीकर। रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः–
1. श्री सोहनलाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व
निर्णय दिनांक 10.02.2016 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 15 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) एक अतिक्रमी व्यक्ति किशनलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर द्वारा अपीलान्ट के पति डूंगरमल के विरूद्व एक निराधार शिकायत दिनांक 16.12.2015 को तहसीलदार फतेहपुर के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि "चाचीवाद बडा में मेरे नाम का एक प्लॉट है, जिसके गेट के सामने डुंगरमल पुत्र सांवरमल जाति जाट निवासी चाचीवाद बडा ने ईंट पत्थर व पट्टी डाल रखी है। जिससे मेरे प्लॉट के गेट का रास्ता रूक गया है और गेट न तो सही तरीके से बन्द होता है और न ही खुलता है। उक्त डूंगरमल को ईंट, पत्थर व पट्टी को हटाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। अतः निवेदन है कि उक्त ईंट, पत्थर व पट्टी को हटाने की कृपा करें।"

(2) उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर नायब तहसीलदार फतेहपुर द्वारा पटवारी हल्का को मौका निरीक्षण कर कार्यवाही हेतु लिखा गया। वास्तव में न तो उक्त किशनलाल के नाम का कोई प्लॉट है और न ही उक्त दिनांक को अपीलान्ट का पति ग्राम चाचीवाद में था। वह तो काफी समय पूर्व से ही विदेश गया हुआ है तथा ना ही अपीलान्ट व उसके पति द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

(3) अपीलान्ट एक अनपढ़ गरीब परिवार की महिला है। उसका पति मजदूरी के लिये विदेश गया हुआ है। वह अपने छोटे–छोटे बच्चों के साथ रहती है। अपीलान्ट के घर के सामने 300–350 वर्गगज की खाली गोचर भूमि है, जिस पर उक्त किशनलाल ने नाजायज कब्जा कर रखा है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट ने अपने घर का पानी निकालने के लिए एक प्लास्टिक का पाईप लगा रखा है और उक्त पाईप को आवारा पशुओं से बचाने के लिए की कहीं उसको तोड़ ना दें, उसके पास ईंट लगा रखी है परन्तु उक्त अतिक्रमी किशन लाल एक राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है जो पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार से मिला हुआ है। दिनांक 29.12.2015 को पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार द्वारा एक निराधार रिपोर्ट अपीलान्ट के खिलाफ तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट को देखने से यह प्रमाणित होता है कि यह रिपोर्ट बिना मौका देखे ही तैयार की गई है क्योंकि रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 को तैयार करना अंकित किया गया है जबकि रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर दिनांक 23.01.2016 को किया जाना अंकित है।

(4) उक्त तथाकथित रिपोर्ट में ग्राम चाचीवाद बडा में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 251/1/1 रकबा 7.35 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से रकबा 20 वर्गफीट पर सम्वत 2072 में अपीलान्ट द्वारा दिवार बनाकर अतिक्रमण किया जाना अंकित किया गया है। उक्त रिपोर्ट तथा उसकी पुश्त पर बने नजरी नक्शे को देखने मात्र से ही यह प्रमाणित है कि उक्त रिपार्ट निराधार व फर्जी है।

(5) पटवारी हल्का दांतरू की उक्त फर्जी रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार फतेहपुर ने दिनांक 03.02.2016 को अपीलान्ट के खिलाफ अपीलाधीन प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा उसे प्राप्त नोटिस की पुश्त पर ही वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था, इसके अलावा भी दिनांक 08.02.2016 को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत किया था तथा अपीलान्ट को दिनांक 10.02.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना सबूत साक्ष्य हेतु कहा गया था लेकिन दिनांक 10.02.2016 को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई तो उसे बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसी दिन अपीलान्ट के खिलाफ अपीलाधीन निर्णय ग्राम चाचीवाद बडा के खसरा नम्बर 257/1/1 के रकबा 20 वर्गफुट पर अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिया गया। अपीलान्ट ने कोई भी अतिक्रमण नहीं किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(6) अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त रिपोर्ट एक पक्षीय है जो गलत है। उक्त रिपोर्टों के सम्बन्ध में अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई मौका नहीं दिया गया है फिर भी उक्त रिपोर्टों को एकमात्र आधार बनाकर गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अलग से पारित आदेश व आदेशिका दिनांक 10.02.2016 के अवलोकन से प्रमाणित है कि उक्त दोनों में काफी असंगता है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्यथा प्रभावित होकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों का सही विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रकरण किस प्रकार से धारा 91 के तहत कवर होता है यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.02.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त रिपोर्ट एक पक्षीय है, जो गलत है। उक्त रिपोर्टों के सम्बन्ध में अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई मौका नहीं दिया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.02.2016 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम चाचीवाद बडा में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 251/1/1 रकबा 7.35 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से रकबा 20 वर्गफीट पर

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(पुत्र मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

अनधिकृत अतिक्रमण कर कब्जा काश्त किया है। अपीलान्ट द्वारा इस भूमि के तथ्यों के विपरीत कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अपीलान्ट ने गोचर भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहपुर के निर्णय दिनांक **10.02.2016** में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नम्बर 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमियों/जोहड़ पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों कों अवैध माना है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक : **15 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner